इकाई 8 केन्द्रीय सेवाएँ और अखिल भारतीय सेवाएँ

संरचना

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 भारत में नागरिक सेवाएँ

8.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.4 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

8.5 केंद्रीय सेवाओं

8.6 आलोचनात्मक मूल्यांकन

8.7 सारांश

8.8 संदर्भ लेख

8.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आपः

- भारत में उच्च नागरिक सेवाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे;
- विभिन्न केंद्रीय सेवाओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे;
- अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषताओं और महत्व को विस्तार से समझ सकेंगे;
- अखिल भारतीय सेवाओं के विरूद्ध और उनके पक्ष में चर्चा कर सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

किसी भी देश के सार्वजनिक कार्मिक प्रणाली की बुनियादी विशेषताओं में से एक इसकी नागरिक सेवाओं का वर्गीकरण है। चूँकि नागरिक सेवकों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त किया जाता है, इसीलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि सेवाओं का वर्गीकरण किया जाये, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके।

इस इकाई में, हम मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) और केन्द्रीय सेवाओं (CS) के रूप में वर्गीकृत दो महत्वपूर्ण सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

8.2 भारत में नागरिक सेवा

नागरिक सेवा शब्द का उपयोग पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, जो भारत के गैर–सैन्य या नागरिक कर्मचारियों की स्थापना के लिए किया गया था। वर्तमान में नागरिक सेवा शब्द का अर्थ सभी सरकारी या राज्य कर्मियों से है, जो गैर–सैन्य श्रेणी के हैं। ई.एन. ग्लैंडेन के शब्दों में, ''सिविल सेवा की अवधारणा को प्रशासन में तटस्थ विशेषज्ञों के एक पेशेवर निकाय के रूप में माना जाता है, जो अपने स्वयं के लाभ को निरपेक्ष रखते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। जिसका किसी पार्टी या राजनीतिक दल या वर्ग हित से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।'' ग्लैंडेन आगे बताते हैं कि नागरिक सेवा एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान का नाम है, जिसमें सरकार के प्रशासन के अधिकारी और

कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। नागरिक सेवा एक मनोभाव है, जो आधुनिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, विशेषकर सार्वजनिक अधिकारियों के लिए, जो समुदाय की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं।

हरमन फाइनर, जो नागरिक सेवाओं को स्थायी भुगतान पाने वाले कुशल अधिकारियों के एक निकाय के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि नागरिक सेवा का कार्य केवल सरकारी नीतियों को आकार देने का ही नहीं है, बल्कि नीतियों को कार्यान्वित करने का भी है। आज की आधुनिक राज्य में, वे सभी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक पहुँचाते हैं। लोगों का कल्याण अत्यधिक रूप से इन लोगों की कार्यकुशलता और सहानुभूति पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर ये कार्य समझ पाते हैं और करते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट पर ये टिप्पणी की थी कि एक समाज की प्रगति सरकार के प्रभावी कामकाज पर निर्भर करती है। और सरकार चाहे लोकतांत्रिक हो या किसी और प्रकार की, उसका अंतिम विश्लेषण उतना ही अच्छा होगा, जितना कि इसके कर्मी इसे बनाते हैं। इसीलिए, सिविल सेवाओं की क्षमता और मनोबल सुशासन की बुनियाद और सभी की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

8.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से ही हुए भारतीय सिविल सेवाओं के गठन के साथ सदा से ही अखिल भारतीय संवर्ग का वर्चस्व रहा है। अखिल भारतीय संवर्ग को ब्रिटिश सरकार ने अपने सभी विभागों में प्रारम्भ किया। ये सेवाएँ गवर्नर जनरल के अधीन नहीं थी, बल्कि सीधे भारत के राज्य सचिव और उसके परिषद के अधीन थीं। वेतन, पेंशन, पदच्युति किसी भी भारतीय विधान सभा के अधीन नहीं थे। बल्कि, राज्य परिषद के सचिव को इन पर पूर्ण अधिकार था।

ये उच्च वर्गीय सेवाएँ जनमत के प्रति अनुक्रियाशील और उत्तरदायी नहीं थी और इनके लिए 1919 के भारत अधिनियम के अंतर्गत लाए गए सुधारों के साथ स्वयं को ढालने में कठिनाईयाँ हुई। 1924 में ली आयोग ने ऐसी कुछ अखिल भारतीय सेवाओं के समाप्ति का सुझाव दिया, जो उन विभागों से सम्बन्धित थे, जिन्हें 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को 'हस्तांतरित' कर दिया गया था। इनमें सम्मिलित सेवायें थी–भारतीय शिक्षा सेवायें, भारतीय कृषि सेवाएँ, भारतीय पषु चिकित्सा सेवाएँ, और भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं की सड़क एवं निर्माण शाखा। लेकिन आयोग ने भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा और भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं की सिंचाई शाखा को अखिल भारतीय सेवा में ही रखा। आयोग ने इन सेवाओं के अधिक भारतीयकरण का भी सुझाव दिया। आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि यदि किसी विभाग का नियंत्रण भारतीय मंत्री को हस्तांरित किया जाए तो विभाग में उस समय कार्यरत किसी भी ब्रिटिश अधिकारी को अनुपातिक पेंशन लेकर सेवानिवष्त होने का अधिकार होना चाहिए। ये सुझाव अमल में लाई गयी।

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इन सेवाओं की स्थिति में और परिवर्तन लाए गए। इसके अंतर्गत भविष्य में प्रांतिय सरकारों में आने वाली भर्तियाँ, जो सचिव द्वारा किए जाते थे, को उचित नहीं माना गया, क्योंकि ये सेवाएँ भारतीय अधिकारियों में निहित हो गईं थीं। ये कहा गया कि ऐसी भर्तियाँ भारत की प्रांतिय सरकार ही करेंगी। हालाँकि, संयुक्त समिति ने इन सुझावों को कुछ सीमा में ही स्वीकार किया और आई.सी.एस., आई.पी., आई. एम.एस. सेवाओं को जारी रखने का सुझाव दिया। इस सुझाव को भारत सरकार अधिनियम

1935 के सेक्शन 224 के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार, 1947 में आजादी के समय केवल दो अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) और इंपीरियल पुलिस (आई.पी.) में ही सीधी भर्ती हुई। आई.एम.एस. के लिए नियुक्तियाँ रोक दी गईं। इन सेवाओं में सबसे ऊँची और सबसे महत्वपूर्ण सेवा भारत सिविल सेवा थी, जिसे आमतौर पर आई.सी.एस. के नाम से जाना जाता है, जिसे उच्च वेतनमान और व्यापक अधिकारों तथा प्रतिश्ठा प्रदान की गई थी। इन्हें ब्रिटिश सरकार का इस्पाती ढाँचा (steel frame) माना जाता था। अंग्रेजों के भारत छोड़ते समय भारत में 10 अखिल भारतीय सेवाएँ और 22 केन्द्रीय सेवाएँ थीं। वास्तव में सरदार पटेल ने 1946 में ही, जब वे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गृह सदस्य थे, पुरानी आई.सी.एस. और आइ.पी. के स्थान पर दो नई अखिल भारतीय सेवाओं– भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के गठन के लिए प्रांतीय सरकारों की सहमति प्राप्त कर ली थी।

अब हम अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे।

8.4 अखिल भारतीय सेवा का गठन

संविधान में भी अखिल भारतीय संवर्ग की सिविल सेवाओं का प्रावधान है। इसमें पहले से गठित (अनुच्छेद 312–2 के अंतर्गत) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों का स्पष्ट उल्लेख है। संविधान ने संसद को आवश्यकता पड़ने पर या राष्ट्रीय हित में, ऐसी ही अन्य अखिल भारतीय सेवाएँ को गठित करने का अधिकार दिया है, जिसके लिए राज्य सभा में उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों में दो–तिहाई के समर्थन से प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है (अनुच्छेद 312–1)। राज्य सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इसके समर्थन से नई सेवाओं के गठन के लिए राज्यों की सहमति सुनिश्चित की जाती है। हम भारत में भाग्यशाली होंगे, यदि हम इस प्रयास को आगे ले जा सकें, जिससे विघटनकारी तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ–साथ इन सेवाओं में कार्यरत रंगरूटों में सेवा के प्रति आकर्शण सुनिश्चित कर पाएंगे।

संविधान संसद को इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा–षर्तों के बारे में कानून द्वारा नियमन करने का अधिकार देती है। अभी तक केवल एक और सेवा अर्थात् भारतीय वन सेवा का ही गठन किया गया है।

1951 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम पारित किया गया। इस के अनुच्छेद 3 के उप अनुच्छेद (1) में दिए गए अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नए नियम और विनियम बनाए।

अखिल भारतीय सेवाओं को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को योग्य और प्रतिभाशाली प्रशासनिक कर्मियों को प्रदान करना।
- केन्द्र व राज्यों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
- प्रशासन के मानकों में एकरूपता लाना।
- यह सुनिश्चित करना कि सेवाएँ सांप्रदायिक या पार्टी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं।
- सेवाओं में संतोष और सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करना।

हमारे देश में, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वन सेवा ही केवल तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं।

इन सेवाओं के अधिकारियों को एक राज्य आवंटित किया जाता है (जिसे कैंडर राज्य कहा जाता है) और सेवानिवषत्ति तक उन्हें उस राज्य सरकार के अधीन कार्य करना होता है। हालांकि, वे कुछ वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के लिए भी काम कर सकते हैं।

अब हम अखिल भारतीय सेवाओं के तीनों घटकों पर चर्चा करेंगेः भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वन सेवा।

प्रारम्भ करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ.ए.एस.) पुरानी भारतीय सिविल सेवा की सीधी उत्तराधिकारी है। अखिल भारतीय सेवा के रूप में, यह केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, लेकिन इसके साथ ही इसे राज्य संवर्गों (कैडर) में भी बाँटा गया है, जो संबंधित राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में होते हैं। राज्य संवर्ग सेवा के अधिकारियों का वेतन और पेंशन राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने और दण्डित करने का काम केन्द्र सरकार का है, जो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर निर्भर होती है। चयन के बाद, अधिकारियों की विभिन्न राज्य संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। राज्य संवर्गों में अधिकारियों की संख्या इस तरह निर्धारित की जाती है कि कुछ अधिकारियों का रिजर्व संघ सरकार के अंतर्गत तीन, चार, या पाँच वर्षों की एक या अधि ाक सेवा अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किए जा सके और यह अवधि समाप्त होने पर स्वयं के राज्य के संवर्ग में वापस लौट आए। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संघ सरकार के पास ऐसे अधिकारी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें राज्यों की स्थितियों का अनुभव और बुनियादी जानकारी होती है। दूसरी ओर, राज्यों को इसका लाभ होता है कि उनके अधिकारी केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था से केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को लाभ होता है। अधिकांश अधिकारियों को कम से कम एक बार संघ सरकार के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलता है, कई अधिकारियों को यह अवसर एक से अधिक बार भी मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों को सचिवालय में और सचिवालय से बाहर नियुक्त किए जाने की इस आवर्ती प्रणाली को सरकारी शब्दकोश में सेवा अवधि प्रणाली कहा जाता है।

इस सेवा की एक और प्रमुख विशेषता है, इसकी व्यापक विविधता। इसमें 'सामान्यज्ञ प्रशासक' होते हैं, जिनसे व्यापक विविधता भरे दायित्व निभाने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व की वसूली करना, व्यापार, वाणिज्य, और उद्योग का नियमन करना, कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, विकास और विस्तार कार्य को करना आदि। संक्षेप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा, वे सारे काम करती है जो पहले भारतीय सिविल सेवा करती थी। यह एक सामान्यज्ञ प्रशासक सेवा है, जिसके अधिकारियों की प्रशासन के सभी शाखाओं में नियुक्ति हो सकती है।

सिविल सेवा में वरिष्ठता के आधार पर सिविल सेवकों को पद (रैंक) दिया जाता है। एक भारतीय प्रशासनिक सेवक राज्य में दो साल के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कैरियर प्रारम्भ करता है। अधिकारी अपने ये दो साल प्रशिक्षण स्कूलों, क्षेत्र कार्यालयों, सचिवालयों, या एक जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में व्यतीत करता है।

उसकी नियुक्ति या तो उप–संभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में की जाती है और उसे कानून व व्यवस्था बनाये रखने के कार्य को करना होता है, या फिर उसे उप–संभागीय विकास अधिकारी के रूप में कार्य करना होता है, जहाँ उसे सामान्य प्रशासन में आने वाले विकास कार्यों को देखना होता है, या फिर उसे एक उप–विभागीय जिलाधीश के रूप में राजस्व और करों को एकत्र करना होता है।

दो साल की अवधि में जूनियर स्केल अधिकारी के रूप में कार्य करने के पश्चात् उसे वरिष्ठ मापक्रम प्राप्त होता है। वह उच्च समय–मापक्रम में संयुक्त सचिव बन सकता है।

13 वर्षों की नियमित सेवा के बाद, उन्हें विशेष सचिव के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

राज्यों के भीतर एक सिविल सेवक होने के कारण, अगला पदोन्नति, आयुक्त सह–सचिव का होता है और यह 16 साल की नियमित सेवा के बाद प्राप्त होता है।

24 वर्षों की नियमित सेवा के बाद, आई.ए.एस. अधिकारी को एक प्रमुख सचिव/वित्त आयुक्त के रूप में पदोन्नति दी जा सकती है।

प्रत्येक राज्य में सचिवों/प्रमुख सचिवों के अतिरिक्त एक मुख्य सचिव होता है। राज्य में मुख्य सचिव एक शीर्ष श्रेणी (रैंक) है, जो एक सिविल सेवक अपने कार्यकाल में प्राप्त कर सकता है। नई दिल्ली जैसे कुछ राज्यों व संवर्गों में वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त सचिव जैसे उच्च पदों पर मुख्य सचिव के समान वेतन मिलता है।

मंडल स्तर पर, संभागीय (Divisional) कमिष्नर उसके मंडल का प्रभारी होता है। उसका उत्तरदायित्व कानून और व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, और विकास कार्यों का ध्यान रखना होता है।

प्रत्येक मंडल के अंतर्गत जिले होते हैं और हर जिले का प्रभारी जिलाधीश होता है। जिलाधीश होने के कारण वह राजस्व संग्रहण, विकास कार्य, व कानून व व्यवस्था को देखता है।

भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, जो सार्वजनिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, और कानून व्यवस्था के लिए जबावदेह है। इसे पहले इंपीरियल पुलिस के नाम से जाना जाता था और 1948 में स्वतन्त्रता के बाद इसका नाम बदल कर आईपीएस कर दिया गया। आई.पी.एस. को गृह मंत्रालय द्वारा प्रबन्धित किया जाता है, हालांकि इसके कर्मियों से संबंधित नीतियाँ, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आई.पी.एस. एक ऐसी सेवा है, जिसके अन्तर्गत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आते हैं, चाहें वे किसी भी संस्था के लिए काम करते हैं।

इस सेवा के अधिकारी भी अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती किये जाते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा। आई.पी.एस. राज्य कैडरों में कार्य करते हैं, भले ही पद ए.आई.एस. का है, जो केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। इसीलिए, वे संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए रंगरूटों को पहले पाँच महीने का बुनियादी प्रशिक्षण और फिर विशेष प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दिया

जाता है। इस समय पढ़ाए गए विषयों आदि का पुलिस अधिकारी के सामान्य काम–काज से सीधा सम्बन्ध है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अपराध मनोविज्ञान, अपराध का पता लगाने में काम आने वाले वैज्ञानिक उपकरण, भ्रष्टाचार निवारक उपाय और किसी मुसीबत में तत्काल सहायता पहुँचाने के तरीके सम्मिलित हैं। सालभर के प्रशिक्षण के बाद परिवीक्षाधीन अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद उसे सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एक आई.पी.एस. अधिकारी अपने कार्यकाल में निम्नलिखित पदों पर पदभार ग्रहण करता है।

- सहायक पुलिस अधीक्षक (2 वर्षों की परिवीक्षा के लिए उप–विभाग)
- पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त (4 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद)
- जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (9 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद)
- चयन ग्रेड (13 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद)
- पुलिस उपमहानिरीक्षक या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (14 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद) (डी.आई.जी./ए.सी.पी.)
- पुलिस महानिरीक्षक (18 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद) (ई.जी.)
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (25 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद) (ए.डी.आई.जी)
- पुलिस महानिदेशक (30 वर्ष की सेवावधि पूरी करने के बाद) (डी.जी.पी.)

पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त चेन्नई, दिल्ली, कोलकत्ता, तथा मुंबई जैसे महानगरों में सम्पूर्ण पुलिस बल के प्रमुख होते हैं। उन्हें पूरे राज्य के कानून और व्यवस्था को बनाये रखने का कार्य सौंपा जाता है। उनके अधीनस्थ पद पर अतिरिक्त डी.जी.पी. होता है। पुलिस महानिरीक्षक या संयुक्त पुलिस आयुक्त विशिष्ट पुलिस विभागों के प्रमुख होते हैं, जैसे अपराध जाँच विभाग, विशेष शाखा आदि।

इसके अतिरिक्त, अधिकारी सरकारी एजेंसियों जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में भी काम करते हैं। इन्हें भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल), भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल), इंडियन ऑयल कार्पोरेषन इत्यादि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में भी काम करने को मिलता है। ये केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत राज्य सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय में भी काम करते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में भी वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तैनात होते हैं।

वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे वाणिज्य दूतावास (विदेशी मिशन), संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.), अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरपोल (अंतर्राश्ट्रीय पुलिस), और दूनिया भर के दूतावासों में काम करते हैं, जैसे कि राजदूत, महावाणिज्य जनरल, उप उच्चयुक्त, उच्चायुक्त और प्रथम सचिव।

भारतीय वन सेवा (IFS)

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय वन सेवा (IFS) की स्थापना 1966 में वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, और पुनर्स्थापन के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी।

वन समवर्ती सूची में सम्मिलित है।

संघ लोक सेवा आयोग इस सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करता है। इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है। हालाँकि, यह अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन यह सामान्य सिविल सेवा नहीं है। इसका स्वरूप और काम–काज विशिष्टता और विशेषज्ञता वाला है। इस सेवा का प्रबंध कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग करता है, जो कार्मिक मामलों के सम्बन्ध में नियम बनाता है।

चयनितों को अखिल भारतीय सेवा व केन्द्रीय सेवा के अन्य सफल उम्मीदवारों के साथ तीन महीने तक चलने वाले एक बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है। बुनियादी पाठ्यक्रम के बाद परिवीक्षाधीन अधिकारी को देहरादून स्थित भारतीय वन संस्थान में दो वर्शों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होता है, जिसकी समाप्ति के पश्चात् उन्हें एक परीक्षा पास करनी होती है जिसके उपरान्त उनकी औपचारिक नियुक्ति होती है। आई.एफ.एस. के लिए चुने गए उम्मीदवारों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षित किया जाता है। अधिकारियों को पर्याप्त सामर्थ्यवान बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे कठिन क्षेत्रों में भी कार्य कर सके।

भारतीय वन सेवा संवर्ग (cadre base) आधारित सेवा है। अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह इसके अधिकारी भी प्रतिनियुक्त होकर केन्द्र सरकार की सेवा में आ सकते हैं, लेकिन प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर, उन्हें अपनी सेवा में वापस जाना होता है। संवर्ग राज्य के किसी कार्यालय में नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अधिकारी को एक वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाता है और इसके बाद उसे संवर्ग में किसी दूसरे कार्यालय में नियमित नियुक्ति दी जाती है।

भारतीय वन सेवा के पद निम्नानुसार हैः

- परिविक्षाधीन अधिकारी
- संभागीय वन अधिकारी/डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर (डी.एफ.ओ.)
- उप वन संरक्षक/वन संरक्षक/डिप्टी कॉनसॅवेर्ट ऑफ फॉरेस्ट (डी.सी.एफ.)
- मुख्य वन संरक्षक/चीफ कॉनसॅवेर्ट ऑफ फारेस्ट (सी.सी.एफ.)
- अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक/ एडिष्नल चीफ कॉनसॅवेर्ट ऑफ फारेस्ट (ए.सी.सी.एफ)
- प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) (राज्य में सर्वोच्च पद)
- वन महानिदेशक (डी.जी.एफ.)(केन्द्र में सर्वोच्च पद और राज्यों के वरिष्ठतम PCCF में से चुने गए)

केन्द्रीय सचिवालय व राज्य सचिवालयों में वरिष्ठ पद और केन्द्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यभार के अतिरिक्त एक आई.एफ.एस. अधिकारी वन, वन्यजीव, और पर्यावरण के प्रबंधन से संबंधित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भी काम करते हैं। इनमें से कुछ संगठन हैंः

- सार्क (SAARC) वन केन्द्र
- भारतीय वन सर्वेक्षण
- भारतीय वन्यजीवन संस्थान
- भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.)

- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आई.जी.एन.एफ.ए.)
- वन शिक्षा निदेशालय
- वन्यजीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यू.सी.सी.बी.)
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
- एकीकृत पर्वत विकास के लिए अंतराष्ट्रीय केन्द्र

अब हम केन्द्रीय सिविल सेवाओं पर चर्चा करेंगे।

8.5 केन्द्रीय सिविल सेवायें

केन्द्रीय सिविल सेवाएँ पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन होती हैं। इसके अधिकारी केवल केन्द्र सरकार के पदों पर काम करते हैं। इन सेवाओं में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखांकन सेवा, भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय रेल यातायात सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेवले कार्मिक सेवा, भारतीय व्यापार सेवा आदि सम्मिलित हैं। वे किसी भी राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर सकते हैं। परन्तु कुछ दुर्लभ मामलों में कुछ अधिकारी किसी भी राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। ऐसा तब होता है, जब कोई व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करें या वह राज्य उनका मूल राज्य हो।

केन्द्र सरकार की सिविल सेवाओं में नियमित केन्द्रीय सिविल सेवाओं के साथ–साथ सिविल पद भी होते हैं, जो सामान्य केन्द्रीय सेवा के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, और अपील) नियमावली, 1965 जिसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवाओं और अन्य सिविल पदों को चार अवरोहित श्रेणियों अर्थात् श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III, श्रेणी IV, में विभक्त किया गया है।

राष्ट्रपति, नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण, श्रेणी प्रथम अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी और श्रेणी द्वितीय अधिकारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी माने जाते हैं जबकि श्रेणी III और श्रेणी IV के लिए अनुशासनात्मक और अपीलीय प्राधिकारी संबंधित विभागाध यक्ष होते हैं।

प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति समान प्राधि ाकारी द्वारा होती है, अतः इन्हें दो भागों में बाँटने का कोई औचित्य नहीं है। हालाँकि, नियोक्ता प्राधिकारी समान हैं, परन्तु अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के अन्तर्गत काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, आवश्यकता अनुरूप, सामान्य निरीक्षण वाले किसी भी पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी विशिष्ट व विशेषज्ञता वाले पदों पर ही नियुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार दोनों तरह की सेवाओं को दो भागों में बाँटना उचित ठहराया जा सकता है।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित अखिल भारतीय सेवा परीक्षा के आधार पर की जाती है। केन्द्रीय सेवाओं में प्रथम श्रेणी के पदों के लिए चुने गए अधिकारियों को अपनी पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में पाँच महीने का बुनियादी पाठ्यक्रम तथा अन्य केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों का काम अलग तरह का और विशिष्ट होता है इसीलिए अखिल

भारतीय सेवाओं के विपरीत, इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस काम की प्रकृति पर स्पष्ट बल दिया जाता है, जिसे अधिकारी को आगे अपने कार्यकाल में करना होता है। केन्द्रीय सेवाओं के लिए चुने गए अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि के दौरान व्यावहारिक अर्थात् उसके कार्यक्षेत्र में ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर, परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक विभागीय परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा के विषय उसके काम से सीधे संबंधित होते हैं। सभी अधिकारी अपने कार्य में निरन्तर प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं।

इन सेवाओं का प्रशासन उन सभी मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है, जिसके अंतर्गत इन सेवाओं के पद आते हैं। कार्मिक विभाग इन सेवाओं की सेवा शर्त निर्धारित करता है। वित्त मंत्रालय पदों के वेतनमान और अन्य वित्तीय पक्षों, जैसे वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि की मंजूरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, और भविष्य निधि जैसे मामलों को देखता है।

गतिविधि

8.6 आलोचनात्मक मूल्याँकन

भारत में विद्वानों, समितियों, और आयोगों द्वारा वर्गीकरण प्रणाली की अत्यधिक आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए पॉल.एच. अपलेवी ने अपनी पहली भारत यात्रा में भारतीय प्रशासन प्रणाली का अध्ययन करने के बाद, यह महसूस किया, ''कार्मिककृ. दृढ़ "वर्गों" और कई "विशेष सेवाओं" में स्वेच्छा से स्वयं को व्यवस्थित करते हैं जिससे वर्गों और सेवाओं के बीच बड़ी बाधायें उत्पन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवा का बहुत कम महत्व रह जाता है सार्वजनिक सेवा के लगभग सभी स्तरों पर यह यह मान लिया जाता है कि एक निश्चित वर्ग का एक व्यक्ति उसी वर्ग के दूसरे व्यक्ति के बराबर होता हैकृ. जिससे उत्तरदायित्व तनूकृत व विसरित हो जाती हैं तथा श्रेणियाँ भी अतिष्योक्तिपूर्ण हो जाती हैं।"

1959 में, कर्मचारी संगठनों ने दूसरे वेतन आयोग का प्रतिनिधित्व किया था ताकि वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली को इस आधार पर समाप्त कर दिया जाये कि वर्गीकरण की इस प्रणाली ने चेतना को बढ़ावा दिया और इस तरह की जाति व्यवस्था का गठन किया, जो कुछ मिथ्याभिमान को ही सन्तुश्ट कर सकती है

लेकिन इसका उद्देश्य सार्वजनिक सन्तुश्टि को तष्त करना नहीं है। इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए वेतन आयोग ने साफ रूप से यह उल्लेखित किया कि ''यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि नागरिक सेवा में ग्रेड को थोपा जाए, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। हमें नहीं लगता कि प्रशासन के लिए कोई गम्भीर असुविधा होगी यदि हम इस प्रकार के वर्गीकरण को त्याग दें।''

इसी तरह, ए.आर.सी. के अध्ययन दल ने वर्गीकरण के प्रचलित व्यवस्था के विपरीत अपने सुझाव दिये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सेवाओं के इस वर्गीकरण प्रणाली के कुछ आलोचनात्मक बिन्दुओं को हम निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैंः

- भारत में पदों का वर्गीकरण किसी एक कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। कम से कम चार अलग सरकारी कार्यालय इस कार्य को देखते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंषन मंत्रालय आई.ए.एस. का संवर्ग प्राधिकारी है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण होता है।

- यह आलोचना की गई है कि वर्गीकरण की प्रचलित प्रणाली ने वर्ग बोध और इस प्रकार की जाति व्यवस्था के गठन को बढ़ावा दिया है, जो लोकतांत्रिक भावना को बरकरार नहीं रख सकती है।
- वेतन मानदंड और सेवाओं व विभिन्न वर्गों के पदों में एक निरंतर अतिव्यापता रही है। चौथे वेतन आयोग और पाँचवें वेतन आयोग ने इस अतिव्यापता को सुलझाने का प्रयास किए, परन्तु और प्रयासों की भी आवश्यकता है।
- व्यापक संस्थापक लागत की गणना व जाँच करने के लिए बहुत कार्मिकों की आवश्यकता होती है। यह मानवशक्ति की बर्बादी है।
- यह वर्गीकरण किसी भी पद के अंतविषय को परिभाषित नहीं करता है, ना ही इनकी गुणात्मक या मात्रात्मक गुणों को सूचित करता है।
- यह, पदों का उनके लिए आवश्यक योग्यता से नहीं जोड़ता है।
- वर्तमान वर्गीकरण प्रणाली पूर्व तर्कपूर्ण मानकों को एक बेहतर चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानान्तरण या जीवन वषत्ति विकास के लिए सुसाध्य नहीं बनाती है।

8.7 सारांश

इस इकाई में हमने अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जो भारत में सेवाओं के वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप, भारत में सिविल सेवा अंग्रेजी पैटर्न पर वगीकृत की गई। लॉर्ड एटिसन की अध्यक्षता में नियुक्त लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बाद, सेवाओं को चार भागों में वर्गीकृत किया गया- राज्य सम्बन्धि सेवाएँ, प्रांतीय सेवाएँ, अधीनस्थ सेवायें, और अवसर सेवायें।

स्वतंत्रता के समय हमारे पास दो सेवायें थीं- अखिल भारतीय सेवाएँ और 23 (Gr. A) केन्द्रीय सेवायें। वर्तमान में, केंद्रीय सेवायें चालीस (Gr. A) से अधिक है, जो भारत सरकार के संबंधित विभागों की सेवा करती हैं। जबकि, तीन अखिल भारतीय सेवाएं (IAS, IPS, IFS), जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है, सम्पूर्ण देश के लिए नियुक्त होते हैं, जिससे ये देश के लिए लाभप्रद सिद्ध हों और साथ ही देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र के लिए भी।

भारत का राष्ट्रपति इन सेवाओं के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण होता है, जो यू.पी.एस. सी. के परामर्ष से उचित कार्रवाई करता है।

अखिल भारतीय सेवाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और शासन में उनकी भूमिका को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है।

8.8 संदर्भ लेख

All India and Central Services, eGyanKosh, retrieved from IGNOU website gyankosh.ac.in/bitstream/123456789/19102/1/Unit-11.pdf

Jha, 2012, Public Personnel Administration, Pearson Education, India

Palekar, S.A., 2005, Public Personnel Administration ABD Publishers, Jaipur

Procter, Arthur W, 2009, Principles of Personnel Administration, Biblio Life

Sharma, M.K., 2007, Personnel Administration, Anmol Publisher, Delhi

Wikipedia, All India Services, retrieved https://en.wikipedia.org/wiki/All_India_Services

Wikipedia, Central Civil Services, retrieved https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Civil_Services

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY